न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 176/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. छंगाराम पुत्र जुगला जाति अहीर निवासी ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

1 गजानंद पुत्र केहर जाति अहीर निवासी ग्राम सांसेंी तह0 नीमराना जिला अलवर

2 राज0 सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार,नीमराना

:---- असल रेस्पो0

3 मूर्तिदेवी बेवाह जसराम

4 सुन्दर पुत्र जसराम

5 धर्मवीर पुत्र जसराम

6 राजपाल पुत्र जसराम

7 मक्खन पुत्र जुगला जाति अहीर निवासी ग्राम सांसेडी तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान

8 उप पंजीयक तहसीलदार नीमराना जिला अलवर

:---- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना दिनांक 4.9.2019

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0सं01 :– श्री रामेश्वर दयाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 09.03.2021

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना द्वारा राजस्व वाद संख्या 1767/15 में पारित निर्णय दिनांक 4.9.2019 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट प्राथमिक तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात में वादी का 1/4 भाग, 1/4 भाग असल प्रतिवादी संख्या 1 ला0 6 का, 1/4 भाग असल प्रतिवादी संख्या 5 का तथा 1/6 भाग असल प्रतिवादी संख्या 6 का है । इस प्रकार वादी एवं असल प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की आराजी है । परन्तु शामलात में खेती करने में असल प्रतिवादीगण मजाहमत करते हैं । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्राथमिक तौर पर डिक्री किया है । जिसकी यह अपील प्रतिवादी छंगा ने प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खाते की कुल 60 आराजी है, जबकि वादी ने केवल 38 खसरा नम्बरान का वाद प्रस्तुत किया है। कानूनन संपूर्ण भूमि का विभाजन होना चाहिये। तहत अदालत ने सदैव के लिये निषेधाज्ञा जारी की है, जबकि यह निषेधाज्ञा अंतिम डिक्री में होनी चाहिये । वादी ने अपीलांट के कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 841, 287 को वाद में शामिल नहीं किया है । पक्षकारों द्वारा पूर्व से ही आराजी का बटवारा कर रखा है और बटवारे के अनुसार पक्षकारान काबिज है । पुनः बटवारा नहीं किया जा सकता । वादी ने अच्छी अच्छी आराजी ले रखी है तथा अपीलांट को बुरी बुरी आराजी दे रखी है । कुछ भूमि का बेचान भी हो चुका है, परन्तु वाद पत्र में क्रेतागण को पक्षकार नहीं बनाया है । विभाजन के नियमों की पालना नहीं की गई है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि उन्होंने अपने जवाब दावे में बेचने की बात नहीं कही है । अब अपील में यह बिन्दू नहीं उठा सकते । जवाब दावा में अपीलांट प्रतिवादी छंगा ने विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा होना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

स्वीकार किया है । सम्पूर्ण भूमि का विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है । जिस भूमि की ये बात करते हैं, वह भूमि ओर कोई है और उसके खातेदार भी ओर कोई है । खसरा नम्बर 841 एवं 287 की बाबत हमने कोई रिलीफ नहीं चाही है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही अपीलांट प्रतिवादी द्वारा दिये गये जवाब दावा का भी अवलोकन किया । जिसमें स्वीकार किया गया है कि पक्षकारान के मध्य कोई बाहमी बंटवारा नहीं हुआ है, विवादित आराजी बिना बटी हुई है । जबकि अपील में यह कहता है कि आराजी का पूर्व में ही बटवारा हो चुका है । इसी प्रकार जवाब दावा में आराजी के विकय होने का जिक प्रतिवादी अपीलांट ने अपने जवाब दावा में नहीं किया है, जबकि अपील में कुछ आराजी के विकय की बात की गई है । इस प्रकार अपीलांट के कथन विरोधाभाषी है । प्रस्तुत अपील प्राथमिक डिकी के खिलाफ है । तहत अदालत ने प्राथमिक डिकी जारी कर रेकार्ड एवं मौका अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये गये हैं । कुर्रेजात रिपोर्ट आने के बाद उस पर पक्षकारान की आपत्तियां ली जायेगी और तत्पश्चात अंतिम डिकी पारित होनी है । अपील सारहीन है । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 4.9.19 यथावत रखे जाते हैं ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिकी जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 176/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. छंगाराम पुत्र जुगला जाति अहीर निवासी ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

1 गजानंद पुत्र केहर जाति अहीर निवासी ग्राम सांसी तह0 नीमराना जिला अलवर

2 राज0 सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार,नीमराना

:---- असल रेस्पो0

3 मूर्तिदेवी बेवाह जसराम वगैरा

:---- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना दिनांक 4.9.2019

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0सं01 :– श्री रामेश्वर दयाल

पर्चा डिक्री दिनांक 09.03.2021

अपील खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.9.19 यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर